GS WORLD

एक ऐसा संस्थान जो अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है...

IAS GS WORLD PCS

Committed To Excellence

ISO 9001 Certified

16 - 30 Sep., 2018

PIB

PICTURE

पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

DELHI CENTRE
629, Ground Floor, Main Road,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Ph.: 7042772062/63, 9868365322

ALLAHABAD CENTRE
GS World House, Stainly Road,
Near Traffic Choraha, Allahabad
Ph.: 0532-2266079, 8726027579

LUCKNOW CENTRE
A-7, Sector-J, Puraniya Chauraha
Aliganj, Lucknow
Ph.: 0522-4003197, 8756450894

स्मार्ट फेंस प्रायोगिक परियोजना
(17 सितम्बर, 2018)

संबंधित मंत्रालय – गृह मंत्रालय
संबंधित मंत्री – श्री राजनाथ सिंह

महत्त्व

सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा की परिस्थितियों की निगरानी के लिए स्मार्ट फेंस प्रायोगिक परियोजना एक बहुत बड़ा वरदान है।

इस तकनीकी सुविधा से सीमा पर हमारी सुरक्षा पहले से मजबूत और प्रभावी हो जायेगी।

इससे आतंकवादियों का भारत में घुसना असंभव हो जाएगा।

संदर्भ

हाल ही में भारत ने अपनी पहली स्मार्ट फेंस प्रायोगिक परियोजना का अनावरण किया है।

इस परियोजना के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू-कश्मीर के प्लौरा क्षेत्र (Ploura) में स्मार्ट फेंस लगाया गया है।

थर्मल इमेजर, भूमिगत सेंसर, फाइबर ऑप्टिकल सेंसर, रडार और सोनार जैसे सेंसर उपकरण भी स्मार्ट बाड़ में लगाए जाएंगे।

भविष्य में पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की 2,400 किलोमीटर लंबी सीमा पर ऐसी प्रणाली तैनात की जाएगी।

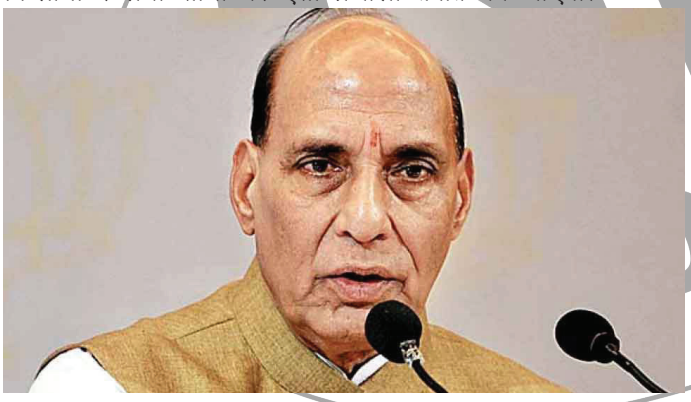

मुख्य तथ्य

स्मार्ट फेंस में लेजर से चलने वाले बाड़े (fence) बनाए जाते हैं और तकनीक से संचालित अवरोध बनाए जाते हैं जिससे कि सीमाओं पर जगह-जगह पर ऐसे अंतरालों पर ध्यान दिया जा सके जहाँ से घुसपैठ की सम्भावना अधिक होती है।

स्मार्ट फेंस प्रणाली में सर्वेक्षण संचार और डाटा संग्रहण के लिए कई उपकरणों का प्रयोग होता है।

यह एक नई प्रणाली है जिसके माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जा सकती है चाहे कोई भी मौसम हो। धूल की आँधी हो, कुहासा हो अथवा बरसात हो रही हो, सभी परिस्थितयों में यह कार्य करता है।

स्मार्ट फेंस में यह व्यवस्था भी होती है कि यदि कोई संदिग्ध गतिविधि हो तो अलार्म भी बजता है।

झूम खेती पर एक अभियान आरम्भ
(17 सितम्बर, 2018)

संबंधित आयोग – नीति आयोग
संबंधित अध्यक्ष - नरेंद्र मोदी, अध्यक्ष (चेयरपर्सन), उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत

सन्दर्भ

हाल ही में नीति आयोग ने कृषि मंत्रालय को यह अनुशंसा की है कि झूम खेती पर एक अभियान आरम्भ किया जाए जिससे विभिन्न मंत्रालयों के बीच इस विषय में तालमेल बिठाया जा सके।

झूम खेती क्या है?

झूम खेती को काटो और जलाओ खेती भी कहते हैं।

इसमें फसल लगाने के पहले किसी भूमि पर स्थित पेड़ों और घास-फूस को साफ कर दिया जाता है और उसके बाद जला दिया जाता है।

इस प्रकार जली हुई मिट्टी में पोटाश होता है, जिसके कारण मिट्टी की पोषकता बढ़ जाती है। झूम खेती की प्रथा पूर्वोत्तर भारत में प्रचालन में है।

झूम खेती से जुड़ी समस्याएँ

नीति आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि 2000-2010 के बीच झूम खेती में उपयोग होने वाली भूमि 70% घट गई है।

पहले ऐसा होता था कि किसान जिस भूमि पर खेती छोड़ देते थे उस पर दुबारा दस-बारह वर्ष में ही लौटते थे।

लेकिन अब यह देखा जा रहा है कि वे 3-5 वर्ष के भीतर ही उस भूखंड पर लौट आते हैं जिसका फल यह होता है कि मिट्टी की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं रह जाती है।

मुख्य बिंदु

भारत में यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है-

मणिपुर में इसे पालमू तथा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे 'द्वीपा' कहा जाता है।

- मध्य प्रदेश – बेबर या दहिया
- आंध्र प्रदेश – पोडु (पेंडा)
- ओडिशा – पामाडाबी/कोमान/बरीगाँ
- पश्चिमी घाट – कुमारी
- दक्षिण-पूर्वी राजस्थान – वालरे या वाल्टरे
- हिमालय क्षेत्र – खिल
- झारखंड – कुरुवा
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र – झूम

ई-सहज पोर्टल
(18 सितम्बर, 2018)

संबंधित मंत्रालय – गृह मंत्रालय
संबंधित मंत्री – श्री राजनाथ सिंह

संदर्भ

हाल ही में सुरक्षा अनुमति देने के लिए भारत सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जिसका नाम ई-सहज है।

इस पोर्टल पर आवेदक अपना आवेदन ऑनलाइन दे सकता है और समय-समय पर अपने आवेदन की स्थिति को देख सकता है।

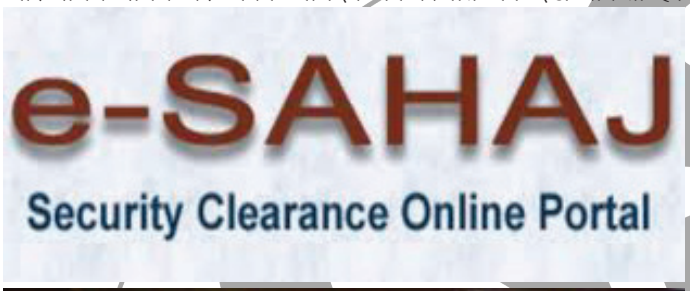

सुरक्षा अनुमति क्या है?

कंपनियों/बोली लगाने वालों/व्यक्तियों को कुछ संवेदनशील क्षेत्रों के लिए लाइसेंस/परमिट, अनुमति, ठेका इत्यादि देने के पहले सुरक्षा अनुमति की आवश्यकता होती है।

यह अनुमति सम्बंधित मंत्रालय देता है और इसके लिए गृह मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है।

सुरक्षा अनुमति देने के समय देखा जाता है कि कहीं प्रस्तावित ठेका आदि देने से सुरक्षा को खतरा तो नहीं होगा।

साथ ही यह भी ध्यान दिया जाता है कि इससे कोई आर्थिक संकट तो उत्पन्न नहीं होगा।

सरकार का उद्देश्य है कि एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा पर आँच न आये और दूसरी ओर व्यवसाय करने की आसानी और निवेश के प्रोत्साहन पर दुष्प्रभाव न पड़े।

पोर्टल का महत्त्व

ऑनलाइन पोर्टल बन जाने से सुरक्षा अनुमति देने की प्रक्रिया में एकरूपता आई है और फलस्वरूप अनुमति देने की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और निगरानी करने में सरल हो गयी है।

किये गये आवेदन और कागजात को आसानी से देखा जा सकता है और समय पर निर्णय लिया जा सकता है।

इंडिया कुलिंग एक्शन प्लान (ICAP)
(18 सितम्बर, 2018)

संबंधित मंत्रालय - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
संबंधित मंत्री – डॉ. हर्षवर्धन

संदर्भ

हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंडिया कुलिंग एक्शन प्लान (ICAP) अर्थात् भारत की शीतलीकरण कार्रवाई योजना का प्रारूप निर्गत किया है।

भारत विश्व का पहला प्लान निर्गत करने वाला देश बन गया है।

इस प्रलेख में बताया गया है कि किस-किस प्रक्षेत्र में कितना शीतलीकरण की आवश्यकता है और शीतलीकरण की माँग को घटाने के लिए कौन-कौन कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं।

इस कार्योजना का समग्र लक्ष्य शीतलीकरण की ऐसी व्यवस्था स्थापित करना है कि जिससे लोगों को आराम तो मिले ही अपितु पर्यावरण पर दुष्प्रभाव न पड़े।

ICAP के लक्ष्य

सभी प्रक्षेत्रों में शीतलीकरण के माँग को 2037-38 तक 20% से 25 % घटाना।

2037-38 तक वातानुकूलन की माँग को 25% से 30% घटाना।

2037-38 तक शीतलीकरण पर होने वाले बिजली के खर्च को 25% से 40% घटाना।

स्किल इंडिया मिशन से तालमेल बिठाते हुए 2022-23 तक सेवा प्रक्षेत्र के एक 1 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षण और प्रमाण-पत्र देना।

इंडिया कुलिंग एक्शन प्लान ने अपने लक्ष्यों के निर्धारण हेतु अगले 20 वर्षों में शीतलीकरण की आवश्यकता का मूल्यांकन किया है और साथ ही शीतलीकरण के उपयोग को घटाने के लिए आवश्यक नवीनतम तकनीकों पर भी प्रकाश डाला है।

दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद
(18 सितम्बर, 2018)

संबंधित मंत्रालय – गृह मंत्रालय
संबंधित मंत्री - श्री राजनाथ सिंह

संदर्भ

हाल ही में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् की 28वीं बैठक गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैंगलुरू में सम्पन्न हुई।

इस बैठक में पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की गई।

पिछली बैठक में जो महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गये थे, वे थे– मछुवारों की सुरक्षा, प्रायद्वीपीय पर्यटन के लिए नई रेलगाड़ियाँ चलाना, सभी पाठ्यक्रमों के लिए SC/ST छात्रवृत्ति निधि का जनसंख्या के अनुपात में आवंटन।

क्षेत्रीय परिषद् क्या है?

- क्षेत्रीय परिषदों को संसद द्वारा स्थापित किया गया है।
- इनका उद्देश्य अंतर्राज्यीय सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना है।
- ये परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राज्यादेश द्वारा स्थापित की गई हैं।
- इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये परिषदें सांवैधानिक निकाय नहीं हैं।
- अत: ये क्षेत्रीय परिषदें मात्र विचार-विमर्श एवं परामर्श के लिए हैं।
- भारत में ऐसी 5 परिषदें गठित हैं– उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषदें।
- क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष देश का गृह मंत्री होता है।
- परिषद् के उपाध्यक्ष सम्बंधित राज्यों के मुख्यमंत्री बारी-बारी से हर वर्ष बनते हैं।

मुख्य बिंदु

इस परिषद् में मुख्यमंत्री के अलावे हर राज्य के दो-दो मंत्री भी होते हैं (जिनका मनोनयन सम्बंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं)।

क्षेत्रों में संघीय शासित क्षेत्र हैं वहाँ से भी दो मंत्री परिषद् के सदस्य के रूप में नामित होते हैं।

प्रत्येक परिषद् में सलाहकार होते हैं ख्र एक नीति-आयोग द्वारा नामित, प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त।

पूर्वोत्तर के राज्यों (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम और नागालैंड) के लिए अलग से कोई क्षेत्रीय परिषद् नहीं है।

इन राज्यों की विशेष समस्याओं को देखने के लिए पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1972 के द्वारा एक पूर्वोत्तर परिषद् (North Eastern Council) गठित की गई है।

यह कदम एक ही बीमित व्यक्ति के विविध पंजीकरणों में कमी लाएगा तथा दीर्घकालिक अंशदायी स्थितियों के लिए आवश्यक लाभ उठाने में उन्हें सक्षम बनाएगा।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को मंजूरी

(19 सितम्बर, 2018)

संबंधित मंत्रालय - श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
संबंधित मंत्री - श्री संतोष कुमार गंगवार
(स्वतंत्र प्रभार)

संदर्भ

हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत कवर किये जाने वाले बीमित व्यक्तियों (आईपी) के लिए 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' नामक एक योजना को मंजूरी दे दी है।

इसके तहत बीमित व्यक्तियों के बेरोजगार होने पर नकद राहत मिलेगी।

क्या है?

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बीमित व्यक्ति को नौकरी जाने की स्थिति में और नए रोजगार की तलाश के दौरान सीधे बैंक खाते में राहत राशि भेजी जाएगी।

ईएसआई निगम ने कर्मचारियों को प्रति व्यक्ति दस रुपये की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, जिससे कि उनके श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के ईएसआईसी डाटा बेस में आधार (यूआईडी) के जोड़े जाने को प्रोत्साहित किया जा सके।

प्रमुख बिंदु

ईएसआई निगम ने सुपर स्पेशियलिटी उपचार का लाभ उठाने के लिए अर्हता स्थितियों में रियायत देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, जिसमें पहले के दो वर्षों के बीमा योग्य रोजगार अवधि को घटाकर छह महीने कर दिया गया है और इसमें केवल 78 दिनों के अंशदान की आवश्यकता होगी।

बीमित व्यक्तियों के आश्रितों के लिए सुपर स्पेशियलिटी उपचार का लाभ उठाने की अर्हता में छूट देकर अब इसे एक वर्ष के बीमा योग्य रोजगार तक घटा दिया गया है, जिसमें 156 दिनों का अंशदान होगा।

इस छूट से बीमित व्यक्तियों एवं उनके लाभार्थियों को संशोधित अर्हता के अनुसार निःशुल्क सुपर स्पेशियलिटी उपचार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

ईएसआई निगम ने बीमित व्यक्तियों की मृत्यु पर भुगतान किए जाने वाले अंत्येष्टि व्यय में बढ़ोतरी कर इसे वर्तमान 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana

महिला सुरक्षा हेतु दो पोर्टलों का अनावरण
(20 सितम्बर, 2018)

संबंधित मंत्रालय – गृह मंत्रालय
संबंधित मंत्री – श्री राजनाथ सिंह

संदर्भ

हाल ही में भारत सरकार ने महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए दो पोर्टलों का अनावरण किया है, ये पोर्टल हैं- महिला एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध की रोकथाम (CCPWC) और यौन दुष्कर्मियों से सम्बंधित राष्ट्रीय डाटाबेस (NDSO)

छक्के के अनावरण के बाद भारत इस तरह के एक संपूर्ण डेटाबेस को बनाए रखने के लिए नौवाँ राष्ट्र बन गया है।

इसके अलावा, गृह मंत्री ने आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री की जाँच के लिए महिलाओं और बच्चों (CCPWC) पोर्टल के खिलाफ साइबर अपराध निवारण भी लॉन्च किया है।

पोर्टल "cybercrime-gov-in" को बाल अश्लीलता, बाल यौन शोषण सामग्री और यौन रूप से स्पष्ट सामग्री जैसे बलात्कार और गिरोह बलात्कार से संबंधित आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री पर नागरिकों से शिकायतें प्राप्त होंगी।

NDSO क्या है?

यह पोर्टल जनसामान्य के लिए नहीं है अपितु कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए है।

इसमें यौन दुराचारियों के बारे में एक केन्द्रीय डाटाबेस होगा जिसका संधारण राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB) के द्वारा किया जाएगा।

इस डाटाबेस में उन अपराधियों की जानकारी होगी जिन्हें बलात्कार, सामूहिक दुष्कर्म, POCSO और छेड़छाड़ के आरोपों के लिए सजा मिल चुकी है। वर्तमान में इस डाटाबेस में लगभग 4.4 लाख प्रविष्टि हो चुकी हैं।

राज्य पुलिस को कहा गया है कि वे 2005 से आगे इस डाटाबेस को नियमित रूप से अपडेट करते रहें।

डाटाबेस में अपराधियों के नाम, पते, छायाचित्र और अँगुलियों के चिन्ह दिए जायेंगे परन्तु इस बात पर भी ध्यान रखा जाएगा कि किसी व्यक्ति की गोपनीयता भंग न हो।

राष्ट्रीय रजिस्ट्री 15 साल की अवधि के लिए कम खतरे के रूप में वर्गीकृत मामलों के डेटा को बनाए रखेगी।

मामलों के आँकड़े, जिन्हें मध्यम खतरे के रूप में वर्गीकृत किया गया है, 25 वर्षों तक संग्रहीत किया जाएगा।

CCPWC क्या है?

इस पोर्टल पर नागरिकों से बाल अश्लील सामग्री, बच्चों से यौनाचार की वस्तुओं तथा बलात्कार एवं सामूहिक दुष्कर्म जैसे यौनाचार से जुड़ी विषय वस्तुओं से सम्बंधित आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री के विषय में शिकायतें ली जायेंगी।

इस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान बताये बिना सरलता से शिकायत दर्ज कर सकता है।

इससे न केवल पीड़ितों अथवा शिकायतकर्त्ताओं को ही अपितु सामाजिक संगठनों तथा उत्तरदायी नागरिकों को बिना अपना नाम बताये शिकायत करने में सहायता मिलेगी।

शिकायतकर्ता आपत्तिजनक सामग्री और URL को अपलोड भी कर सकते हैं जिससे राज्य पुलिस को जाँच में सहायता मिले।

शिकायत पर क्या काम हो रहा है, इस विषय में जानकारी प्राप्त करने की भी पोर्टल में व्यवस्था है।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो पोर्टल पर प्राप्त होने वाली आपत्तिजनक सामग्रियों को विलोपित करने के लिए सम्बंधित लोगों के विरुद्ध तत्परता से काम करेगा।

इसके लिए भारत सरकार ने इस ब्यूरो को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अनुभाग, 79(3)इ के तहत सूचना निर्गत करने का अधिकार दे रखा है।

पृष्ठभूमि

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के कठुआ में आठ वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या सहित बलात्कार और हत्या के आरोप में यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों पर राष्ट्रव्यापी उत्पीड़न के बाद अप्रैल 2018 में यौन अपराधियों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री स्थापित करने का फैसला किया था।

बलात्कार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 17 वर्षीय लड़की रजिस्ट्री से बाहर रोल के साथ, भारत यौन उत्पीड़कों के ऐसे विस्तृत डेटाबेस को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए दुनिया का नौवाँ राष्ट्र बन जाएगा।

ऐसे देशों को बनाए रखने के लिए अन्य देशों में संयुक्त राज्य, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और त्रिनिदाद और टोबैगो शामिल हैं।

अमेरिका में रहते हुए, बाकी देशों में डेटाबेस को आम जनता द्वारा भी पहुँचा जा सकता है, इसे केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ही पहुंचा जा सकता है।

सिक्किम को मिला पहला एयरपोर्ट
(23 सितम्बर, 2018)

संबंधित मंत्रालय – पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
संबंधित मंत्री - डॉ. जितेंद्र सिंह

संदर्भ

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिक्किम के पाक्योंग में बने राज्य के पहले हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। यह पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है।

- पाक्योंग हवाई अड्डा देश का 100वाँ हवाई अड्डा है।
- यह एयरपोर्ट राजधानी गंगटोक से करीब 33 किलोमीटर की दूरी पर है।
- इस एयरपोर्ट के बन जाने से इस राज्य के पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- चीन की सीमा से लगते इस एयरपोर्ट को काफी अहम माना जा रहा है।

उद्देश्य:

इस योजना का उद्देश्य लोगों को सस्ते में हवाई सफर उपलब्ध कराना और दूर-दराज के इलाकों को भी हवाई संचालन से जोड़ना है।

मुख्य बिंदु

स्पाइसजेट एयरलाइन सबसे पहली उड़ान को अंजाम देगी। विमान चार अक्टूबर को कोलकाता से उड़ान भरेगा।

पाक्योंग हवाई अड्डा केंद्र सरकार की 'उड़ान' (उड़े देश का आम नागरिक) योजना में शामिल है।

इसका निर्माण भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी (एएआई) ने किया है।

ये एयरपोर्ट चीन सीमा के सबसे करीब है, लिहाजा भारत के लिए रणनीतिक तौर पर भी काफी काम आएगा।

पृष्ठभूमि

इस हवाई अड्डे की आधारशिला वर्ष 2009 में रखी गई थी। यहां से परिचालन शुरू होने के साथ ही सिक्किम पूरे देश से सीधे तौर पर जुड़ जाएगा।

यह एयरपोर्ट सिक्किम के लोगों का जीवन आसान कर देगा। इस योजना के तहत एक घंटे तक के सफर के लिए सिर्फ 2500-2600 रुपये ही देने होंगे।

सरकार के इस विजन के तहत हवाई यात्रा का किराया, रेलवे के सफर के किराए के बराबर हो गया है।

यह एयरपोर्ट 206 एकड़ में फैला है। सिक्किम के इस एयरपोर्ट में यात्रियों की सुविधाओं के मद्देनजर महत्त्वपूर्ण इंतजाम किए गए हैं।

वादियों के बीच होने के कारण यह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है।

राष्ट्रीय ई-विधान आवेदन
(25 सितम्बर, 2018)

संबंधित मंत्रालय – संसदीय कार्य मंत्रालय
संबंधित मंत्री - श्री अनंत कुमार

संदर्भ

हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई-विधान आवेदन (National e&Vidhan Application – NeVA) विषय पर एक द्वि-दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है।

इसके साथ में NeVA के एक नई वेबसाइट का भी अनावरण किया गया है।

क्या है?

यह एक डिजिटल ऐप है जो डिजिटल मंच पर विधानसभाओं में दिन-प्रतिदिन होने वाले कार्यों के संबंध में विधान सभा सदस्यों को सूचना मुहैया कराती है।

इसमें प्रत्येक विधान सभा सदस्य के लिए एक सुरक्षित पेज होता है जिसके माध्यम से वह प्रश्न अथवा अन्य सूचनाएँ प्रतिवेदित कर सकता है।

यह ऐप कार्य-प्रवाह पर आधारित है और यह क्लाउड (मेघराज) पर संरक्षित होता है। इसके कारण विधान सभा के अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने तथा सदस्यों को अपना कर्त्तव्य सक्षमता से सम्पादित करने में सहायता मिलती है।

ई-विधान परियोजना

e-Vidhan एक मिशन मोड वाली परियोजना है जिसका कार्य विधानसभाओं के कारोबार को डिजिटाइज करना और उसे कागज-रहित बनाना है।

इस app का प्रयोग विधानसभाओं के अतिरिक्त सरकारी विभाग भी कर सकते हैं।

National eVidhan Application

NeVA : for Digital Legislatures

NeVA One Nation One Application

'अस्त्र' बीवीआर मिसाइल का सफल हवाई परीक्षण

(26 सितम्बर, 2018)

संबंधित मंत्रालय – गृह मंत्रालय
संबंधित मंत्री – श्री राजनाथ सिंह

संदर्भ

हाल ही में हवा से हवा में मार करने वाली 'अस्त्र' बीवीआर मिसाइल का सफल हवाई परीक्षण किया गया।

देश में तैयार की गई बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (बीवीआरएएमएएम) श्अस्त्रश का भारतीय वायु सेना ने एसयू -30 लड़ाकू विमान के जरिए एयर फोर्स स्टेशन, कलाईकुंडा से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।

कृत्रिम लक्ष्य के साथ किया गया परीक्षण मिशन के सभी मानकों और उद्देश्यों पर खरा उतरा।

अभी तक किए गए परीक्षणों की श्रृंखला में, 'अस्त्र' को पूरी तरह से एसयू- 30 लड़ाकू विमान से छोड़ा गया था।

महत्त्वपूर्ण क्यों?

यह हवाई परीक्षण इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह पूर्व परीक्षणों की श्रृंखला का अंतिम हिस्सा था।

'अस्त्र' मिसाइल हथियार प्रणाली में सर्वश्रेष्ठ है और अभी तक इसके बीस से अधिक परीक्षण हो चुके हैं।

क्या है?

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के सूत्रों ने कहा कि एकल चरण वाली ठोस ईंधन संचालित 'अस्त्र' मिसाइल अपनी श्रेणी में समकालीन बीवीआर मिसाइलों से अधिक आधुनिक है।

यह सुपरसोनिक हवाई लक्ष्यों को ध्वस्त कर डालने में सक्षम है।

तीन दशमलव आठ मीटर लंबी और 178 मिलीमीटर व्यास वाली इस मिसाइल का कुल प्रक्षेपण भार 160 किलोग्राम है।

यह 15 किलोग्राम तक के पारंपरिक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है और इसे किसी भी लड़ाकू विमान में लगाया जा सकता है।

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति – 2018
(26 सितम्बर, 2018)

संबंधित मंत्रालय – संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
संबंधित मंत्री – श्री रविशंकर प्रसाद

संदर्भ

हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति- 2018 (एनडीसीपी-2018) तथा दूरसंचार आयोग को नया नाम 'डिजिटल संचार आयोग' देने की स्वीकृति दे दी है।

प्रभाव:

एनडीसीपी-2018 का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था और समाज बनाना है।

यह कार्य सर्वव्यापी, लचीला और किफायती डिजिटल संचार अवसंरचना तथा सेवाओं की स्थापना से नागरिकों तथा उद्यमों की सूचना और संचार आवश्यकताओं को पूरा करके किया जाएगा।

उपभोक्ता केंद्रित और एप्लीकेशन प्रेरित एनडीसीपी-2018 हमें 5जी, आईओटी, एम2एम जैसी अग्रणी टेक्नॉलोजी लाँच होने के बाद नए विचारों और नवाचार की ओर ले जाएगी।

उद्देश्य:

1. सभी के लिए ब्रॉडबैंड
2. डिजिटल संचार क्षेत्र में चार मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजन
3. भारत के जीडीपी में डिजिटल संचार क्षेत्र के योगदान को 2017 के 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करना।
4. आईटीयू के आईसीटी विकास सूचकांक में भारत को आगे बढ़ाकर 2017 के 134वें स्थान से शीर्ष 50 देशों में पहुंचाना।
5. वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत का योगदान बढ़ाना तथा
6. डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करना।

यह उद्देश्य 2022 तक हासिल किए जाएंगे।

नीति का उद्देश्य

- प्रत्येक नागरिक को 50एमबीपीएस की गति से सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना।
- सभी ग्राम पंचायतों को 2020 तक 1जीबीपीएस की कनेक्टिविटी प्रदान करना और 2022 तक 10जीबीपीएस की कनेक्टिविटी देना।
- कवर नहीं किए गए सभी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना।

- डिजिटल संचार क्षेत्र में 100 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित करना।
- नए युग के कौशल निर्माण के लिए एक मिलियन मानव शक्ति को प्रशिक्षित करना।
- आईओटी प्रणाली का विस्तार 5 बिलियन आपस में जुड़े उपकरणों तक करना।
- व्यक्ति की निजता, स्वायत्तता तथा पसंद को सुरक्षित रखने वाले डिजिटल संचार के लिए व्यापक डाटा संरक्षण व्यवस्था बनाना।
- वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत की सक्रिय भागीदारी में सहायता देना।
- नागरिकों को सुरक्षा आश्वासन देने के लिए उचित संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से दायित्व लागू करना तथा
- डिजिटल संचार अवसंरचना तथा सेवाओं को सुरक्षित रखना।

रणनीति:

1. राष्ट्रीय फाइबर प्राधिकरण बनाकर राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड की स्थापना
2. सभी नए शहर तथा राजमार्ग सड़क परियोजनाओं में समान सेवा मार्ग और उपयोगिता गलियारा स्थापित करना।
3. मार्ग के समान अधिकार, लागत मानक और समय-सीमा के लिए केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकायों के बीच सहयोगी संस्थागत व्यवस्था बनाना।
4. स्वीकृतियों में बाधाओं को दूर करना।
5. ओपन एक्सेस नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्कों के विकास में सहायता देना।

पराक्रम पर्व
(28 सितम्बर, 2018)

संबंधित मंत्रालय – गृह मंत्रालय
संबंधित मंत्री – श्री राजनाथ सिंह

संदर्भ

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरे सालगिरह के मौके पर जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में आर्मी एग्जिबिशन पराक्रम पर्व का उद्घाटन किया।

यह पराक्रम पर्व 28 से 30 सितंबर तक चलेगा।

प्रधानमंत्री मोदी को जोधपुर एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

सर्जिकल स्ट्राइक क्या है?

सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन किसी विशेष क्षेत्र को निशाना बनाकर किया जाने वाला हमला होता है।

इसमें आसपास के क्षेत्र में कम से कम नुकसान होने तथा केवल टारगेट को ही निशाना बनाये जाने पर ध्यान दिया जाता है।

इस प्रकार के हमले से टारगेट को निष्क्रिय करके बड़े हमले से भी बचा जा सकता है।

भारत द्वारा इस प्रकार के सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन से लाइन ऑफ कंट्रोल के पार आतंकवादी कैंपों को निशाना बनाया जाता है तथा बड़े टकराव से बचा जाता है।

Committed To Excellence

भारतीय सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक

भारतीय सेना ने उरी हमले के ग्यारह दिन बाद जवाब में 28 सितंबर, 2016 रात को पाकिस्तानी क्षेत्र में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन किया था।

भारतीय सेना द्वारा यह ऑपरेशन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकवादी कैंप को निशाना बनाते हुए किया गया था।

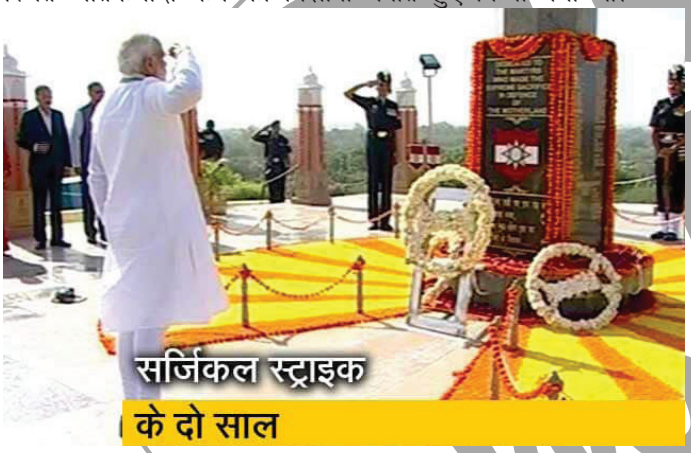

शौचालय समीक्षा अभियान
(28 सितम्बर, 2018)

संबंधित मंत्रालय – आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
संबंधित मंत्री – हरदीप सिंह पुरी (स्वतंत्र प्रभार)

संदर्भ

हाल ही में आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय स्वस्थ भारत मिशन के तहत एक शौचालय समीक्षा अभियान का अनावरण करने की घोषणा की है, जिसमें गूगल की भागीदारी होगी।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

शौचालय समीक्षा अभियान क्या है?

इसका उद्देश्य भारत के स्थानीय गाइडों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना है कि वे गूगल मैप पर सार्वजनिक शौचालयों की समीक्षा करें और उनको रेटिंग दें।

स्थानीय गाइड से अभिप्राय उन लोगों से है जो गूगल मैप पर समीक्षा, छायाचित्र और जानकारी साझा करते हैं।

इस अभियान के तहत सभी नागरिकों को गूगल मैप, गूगल सर्च और गूगल असिस्टेंट पर अपने शहरों में स्थित सार्वजनिक शौचालयों का स्थान पता लगाने को कहा जाएगा और वे उनके विषय में फीडबैक भी देंगे।

महत्त्व

शौचालय समीक्षा अभियान, 2018 में अक्टूबर से लेकर नवम्बर तक चलेगा।

इसका लक्ष्य है भारत-भर में सार्वजनिक शौचालयों के विषय में जानकारी बढ़ाना और उनके स्थान का पता लगाने में सुविधा प्रदान करना है।

गूगल मैप में वर्तमान में भारत के 500 से अधिक शहरों के 30,000 से अधिक शौचालयों की जानकारी "SBM Toilet" के नाम से उपलब्ध है।

इस अभियान के पीछे यह सच्चाई है कि सार्वजनिक स्थानों में साफ-सुथरे शौचालय को ढूँढने में लोगों, विशेषकर महिलाओं और वृद्धों को, कष्ट होता है।

इस अभियान का एक लक्ष्य खुले में शौच से मुक्ति (Open Defecation Free – ODF) का उद्देश्य प्राप्त करना है।

शौचालय समीक्षा अभियान में स्थानीय गाइडों द्वारा दिए गये फीडबैक से शहरी स्थानीय निकाय अपने अपने क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अपनी ओर से कदम उठाएँगे।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम की समीक्षा के लिए समिति का गठन
(30 सितम्बर, 2018)

संबंधित मंत्रालय – कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय
संबंधित मंत्री – श्री अरुण जेटली

संदर्भ

हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम की समीक्षा के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम समीक्षा समिति का गठन किया है।

सशक्त आर्थिक आधारभूत ढाँचे की आवश्यकता के लिए संबंधित अधिनियम को समकालीन बनाने के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धा अधिनियम समीक्षा समिति का गठन किया है।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम वर्ष 2002 में पारित हुआ था, लेकिन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने वर्ष 2009 में पूरी तरह से काम करना शुरू किया।

समिति का गठन

इसके लिये अधिनियम की समीक्षा के लिये कॉर्पोरेट मामलों के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

यह समिति अपनी पहली बैठक की तिथि से तीन महीने के भीतर अपना कार्य पूर्ण करेगी और रिपोर्ट देगी।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत की एक विनियामक संस्था है। इसका उद्देश्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है ताकि बाजार उपभोक्ताओं के हित का साधन बनाया जा सके।

समीक्षा समिति के सदस्य

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के अध्यक्षों को इसका सदस्य बनाया गया है।

कॉर्पोरेट मामलों के संयुक्त सचिव(प्रतिस्पर्धा) समिति के सदस्य सचिव होंगे।

कार्य

यह समिति बदलते हुए व्यापारिक वातावरण के अनुरूप प्रतिस्पर्धा अधिनियम, नियम और नियमावली की समीक्षा करेगी और आवश्यकता होने पर अपेक्षित बदलाव के सुझाव देगी।

प्रतिस्पर्धा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रणाली का अध्ययन करना और इसमे विशेष तौर पर साख विरोधी कानून, विलय दिशा-निर्देश और सीमा व्यापार प्रतिस्पर्धा मुद्दे सम्मिलित हैं।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम के साथ परस्पर व्याप्त अन्य नियामक व्यवस्था/संस्थागत प्रक्रिया/सरकारी नीतियो का अध्ययन करना हैं।

आयोग देश में प्रतिस्पर्धा के विकास और बाजार के मामलों को देखता है।

स्टैट पहल
(28 सितम्बर, 2018)

संबंधित मंत्रालय – पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
संबंधित मंत्री - श्री धर्मेन्द्र प्रधान

संदर्भ

हाल ही में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतिम दिन किफायती परिवहन की दिशा में सतत वैकल्पिक (स्टैट) पहल लॉन्च किया गया।

कंपनियों के साथ पहल शुरू करने के साथ ही संभावित उद्यमियों से संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए ब्याज की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करेंगे और मोटर वाहन ईंधन में उपयोग के लिए बाजार में बायोगैस उपलब्ध कराएंगे।

लक्ष्य

पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार कुल 5000 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस स्टेशनों से सालाना लगभग 1.5 करोड़ टन गैस मिलेगी जो मौजूदा समय में इस्तेमाल हो रही सीएनजी का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा है।

देश में मौजूदा समय में सालाना लगभग 4.4 करोड़ टन सीएनजी का इस्तेमाल वाहन ईंधन के तौर पर होता है।

इस योजना में सरकार लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपये निवेश करेगी और इससे लगभग 75,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।

लाभ

इस कदम से किफायती परिवहन ईंधन की उपलब्धता को बढ़ावा मिलेगा तथा राज्य में अपशिष्ट पदार्थों के निपटान में भी सहायता मिलेगी।

इस योजना के जरिये शहरी और ग्रामीण इलाकों में क्षमतावान कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

इन प्लांट्स में तैयार होने वाली कॉम्प्रेस्ड बायोगैस को सरकार खरीदेगी और उसका इस्तेमाल वाहनों के ईंधन के तौर पर करेगी।

इस योजना के जरिये सरकार सस्ता वाहन ईंधन तो मुहैया कराएगी ही साथ में कृषि अवषेशों का सही इस्तेमाल होगा और पशु मल तथा शहरी कचरे का इस्तेमाल भी हो सकेगा।

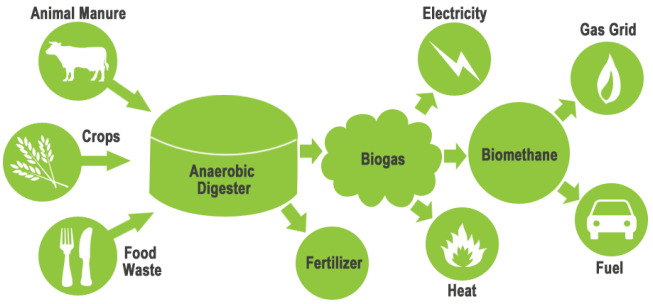

इससे किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक और स्रोत मिलेगा।

मौजूदा और आगामी बाजारों में घरेलू और खुदरा उपयोगकर्त्ताओं को आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए संपीड़ित जैव-गैस नेटवर्क को सिटी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के साथ एकीकृत किया जा सकता है।

ओएमसी ईंधन स्टेशनों से खुदरा बिक्री के अलावा, संपीड़ित जैव-गैस को बाद में तारीख को सीजीडी पाइपलाइनों में कुशल वितरण और क्लीनर और अधिक किफायती ईंधन की अनुकूलित पहुँच के लिए इंजेक्शन दिया जा सकता है।

संबंधित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. स्मार्ट फेंस के द्वारा 24 घंटे निगरानी रखी जा सकती है।
2. स्मार्ट फेंस में स्वचालित अवरोध बनाये जाते हैं।
3. भविष्य में भारत के सभी पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा पर स्मार्ट फेंस लगाये जायेंगे।
4. स्मार्ट फेंस संदिग्ध परिस्थितियों में चेतावनी जारी करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) 1 और 2
(b) 1, 2 और 3
(c) 1, 2 और 4
(d) उपर्युक्त सभी

2. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए

	क्षेत्र	**झूम खेती की स्थानीय नाम**
1.	आंध्र प्रदेश	पोडु
2.	पश्चिमी घाट	खिल
3.	हिमालय	कुमारी
4.	झारखंड	कुरुवा

उपर्युक्त में से कौन-से युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) 1, 2 और 3
(b) 1 और 4
(c) 1, 3 और 4
(d) उपर्युक्त सभी

3. इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. ICAP को नीति आयोग द्वारा बनाया गया है।
2. इस कार्यक्रम द्वारा सभी प्रक्षेत्रों में शीतलीकरण की सीमा निर्धारित की जायेगी।
3. ICAP के तहत शीतलीकरण की माँग घटायी जायेगी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) केवल 3
(b) 1 और 3
(c) 1 और 2
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

4. क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना 1966 के राज्यादेश द्वारा हुई।
2. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1992 में पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना की गयी।
3. क्षेत्रीय परिषदों की अधिकारिता मात्र विचार-विमर्श तक सीमित है।
4. क्षेत्रीय परिषदों का उपाध्यक्ष नीति आयोग द्वारा नामित किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन असत्य हैं?

(a) 1, 2 और 3
(b) 1 , 2 और 4
(c) 1 और 2
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

5. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. इस योजना को जीवन बीमा निगम द्वारा प्रारंभ किया गया।
2. यह औद्योगिक दुर्घटना में बीमित व्यक्ति को नकद राहत देगी।
3. इस योजना में परिवार के सदस्यों को आधार से जोड़ने पर नकद प्रतिपूर्ति मिलेगी।

उपर्युक्त कथन में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 3
(b) 1 और 2
(c) 1 और 3
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

6. महिला एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध की रोकथाम (CCPWC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इस पोर्टल के द्वारा आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री के विरुद्ध शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
2. राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरों द्वारा आपत्तिजनक सामग्रियों का विलोपन किया जायेगा।

GS World Committed To Excellence

3. इस पोर्टल पर केवल पीड़ित या उसके रिश्तेदार शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) 1 और 3
(c) 1 और 2
(d) उपर्युक्त सभी

7. पाक्योंग हवाई अड्डा के संदर्भ में निम्नलिखत कथनों पर विचार कीजिए

1. इस हवाई अड्डा का निर्माण भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा किया गया है।
2. यह हवाई अड्डा उड़ान योजना में शामिल है।
3. यह भारत का सर्वाधिक ऊँचाई पर स्थित हवाई अड्डा है।
4. यह एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) 1 और 2
(b) 1, 2 और 4
(c) 1, 2 और 3
(d) उपर्युक्त सभी

8. राष्ट्रीय ई-विधान आवेदन (NeVA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह विधानसभाओं की कार्यवाई की सूचना जन-साधारण को उपलब्ध करायेगा।
2. इस मंच द्वारा प्रश्न या अन्य सूचनाएँ प्रेषित की जाती है।
3. यह एक क्लाउड आधारित परियोजना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) 1 और 2
(c) 1 और 3
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

9. अस्त्र मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. यह देश में तैयार की गयी 'बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर' मिसाइल है।
2. यह सुपर सोनिक हवाई लक्ष्यों को ध्वस्त करने में सक्षम है।
3. अस्त्र मिसाइल को किसी भी लड़ाकू विमान में लगाया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) 1 और 2
(c) 2 और 3
(d) उपर्युक्त सभी

10. राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इस नीति का लक्ष्य आईसीटी विकास सूचकांक में शीर्ष 25 देशों में शामिल होना है।
2. इसके तहत राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड की स्थापना की जायेगी।
3. इसके तहत 500-बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित किया जाना है।
4. इसके तहत 2022 तक 10 जीबीपीस की कनेक्टिविटी प्रदान की जायेगी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) केवल 3
(b) 1 और 3
(c) 1, 3 और 4
(d) उपर्युक्त सभी

GS World Committed To Excellence

11. सर्जिकल स्ट्राइक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. सर्जिकल स्ट्राइक द्वारा सीमा पार लक्ष्यों को निशाना बनाया जाता है।
2. सर्जिकल स्ट्राइक छोटी एवं घातक सैन्य कार्यवाही होती है।
3. यह निवारक निरोध पर आधारित एक त्वरित कार्यवाई होती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) 1 और 2
(c) 1 और 3
(d) उपर्युक्त सभी

12. शौचालय समीक्षा अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इस द्वारा शौचालय की जानकारी गूगल मैप पर उपलब्ध करायी जायेगी।
2. यह सार्वजनिक शौचालय की गुणवत्ता सुधारने में मदद करेगी।
3. इस कार्यक्रम में गूगल मैप, गुगल सर्च और गूगल असिस्टेंट का प्रयोग किया जायेगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) 1 और 3
(c) 1 और 2
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

13. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. यह एक अर्ध-न्यायिक निकाय है।
2. इसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2009 के तहत हुई।
3. इसमें एक अध्यक्ष समेत 6 सदस्य होते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) 1 और 2
(c) केवल 2
(d) उपर्युक्त सभी

14. स्टैट पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इस योजना द्वारा कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाये जायेंगे।
2. इस योजना द्वारा सस्ता एवं स्वच्छ ईंधन प्राप्त होगा।
3. संपीडित जैव-गैस नेटवर्क के जरिये गैस का वितरण किया जायेगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) 1 और 2
(c) केवल 3
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

15. सुरक्षा अनुमति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. कुछ संवेदनशील क्षेत्रों के लिए सुरक्षा अनुमति की आवश्यकता होती है।
2. संवेदनशील क्षेत्रों में अनुमति गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है।
3. सुरक्षा अनुमति में पारदर्शिता हेतु ई-सहज कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) केवल 3
(b) केवल 2
(c) 2 और 3
(d) उपर्युक्त सभी

GS World Committed To Excellence